चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एणटीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र उपाध्याय व आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा अभियुक्त अशोक कोल पुत्र प्रमोद कोल निवासी भेड़ा थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 17 अदद देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा व उनकी टीम द्वारा बलात्कार के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.01.2025 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि अभियुक्त दीप कुमार उर्फ दीपू नामदेव पुत्र नमोनारायण नामदेव द्वारा वादिया की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 19/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

आज दिनाँक 25.12.2025 को उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दीप कुमार उर्फ दीपू नामदेव पुत्र नमोनारायण नामदेव उपरोक्त को खण्डेहा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस व पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा थाना मऊ

2.मुख्य आरक्षी पवन तिवारी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सनी चतुर्वेदी चौकी प्रभारी शिवरामपुर मय हमराही आरक्षी विपिन व आरक्षी दीप प्रताप सिंह के द्वारा मुकदमा नंबर 472/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त मोहित उर्फ महावीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी लैना बाबा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनाँक 25.12.025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात नियमों का पालन कराए जाने हेतु प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह व उनकी टीम द्वारा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र (ब्लैक स्पाट) कालूपुर में इण्टरसेप्टर (स्पीड रडार गन) से निर्धारित गति (40 Km/h) सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान निर्धारित गति से न चलने वाले 103 वाहनों पर प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए ₹ 200600/- जुर्माना अधिरोपित किया गया।

(6). आज दिनाँक 25.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल द्वारा कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी पदोन्नति पाकर उपनिरीक्षक बनने वाले श्री रमेश कुमार के कन्धों पर स्टार लगाकर अलंकृत किया गया । इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा उपनिरीक्षक श्री रमेश कुमार का मुंह मीठा कराया गया तथा पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्व को करने हेतु बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी ।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय राजापुर के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(7). आज दिनाँक 25.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण: संदिग्ध अपराधियों,असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में प्रभारी

निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव की उपस्थिति में पुलिस टीम द्वारा थाना मारकुण्डी क्षेत्र के किहुनिया व थाना मानिकपुर के रामपुर,कल्याणगढ़ जंगल में कॉम्बिंग की गयी। कॉम्बिंग का उद्देश्य जनपद के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है,संवेदनशील इलाकों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख गैंग वार या अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर रोकथाम करना है साथ ही पुलिस की सक्रियता से जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होगा।

(8).